



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238839
CG-DL-E-15092022-238839

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4131]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944

No. 4131]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

का.आ. 4312(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब डिविजनल ऑफिसर (सिविल) नाहन जिला- सिरमौर, 173001 (NH907A) के हिमाचल प्रदेश राज्य में NH-907A पर किमी 13/800 से 14/00 के बीच क्षतिग्रस्त हिस्से के लिए मेटलाइजिंग टैरिंग सहित चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में NH-907A पर किमी 13/800 से 14/00 के बीच क्षतिग्रस्त हिस्से के लिए मेटलाइजिंग टैरिंग सहित चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण- के संबंध में।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एँस्डीओ(सिभल),नाहन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH907A के कि.मी. 13.8 से 14 तक	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	नाहन	1 शिल्ली शनाड़ी (56)

[फा. सं. RO/HP/Works(274)/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2022

S.O. 4312(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Land acquisition for widening including metalling tarring for the damaged portion between Km 13/800 to 14/00 on NH-907A of Sub Divisional Officer (Civil) Nahan Dist- Sirmour, 173001 (NH907A) in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition for widening including metalling tarring for the damaged portion between Km 13/800 to 14/00 on NH-907A in the state of Himachal Pradesh-reg.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SDO(Civil),Nahan 0	13.8KM To 14KM	HIMACHAL PRADESH	Sirmour	Nahan	1 Shilli Sanari (56)

[F. No. RO/HP/Works(274)/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director